फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री दिनेश माली निवासी श्रीनाथ कॉलोनी ए, प्राइवेट बस स्टेण्ड के पास, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा — **प्रत्यर्थी**

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 108 / 2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 16.12.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा से जरिये अपीलार्थी को पृष्ठांकित पत्र क्रमांक :— राजस्व / 2025 / 880 दिनांक 03.12.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा अनंता हॉस्पीटल परिसर में बनी समस्त बहुमंजिला इमारतों की निर्माण स्वीकृतियों की प्रमाणित प्रतियां मय नक्शें सहित 02, अनंता हॉस्पीटल के स्वामित्व दस्तावेज, भवन अनुमोदन प्रमाण पत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान अनुमोदन कैसे ओर कहा किया जाता है का ब्युरों क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पंजीकरण की प्रमाणित प्रतिया चाही गई है। अपीलार्थी को उक्त बाबत दिनांक 18.11.2025 को सूचित किया कि" प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना की प्रतिलिपियां तहसील कार्यालय देलवाडा में उपलब्ध नहीं है। संबंधित नहीं है। अतः अपीलाथ्री को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं होने बाबत दिनांक 18.11.2025 को ही सूचित कर दिया गया है। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा अनंता हॉस्पीटल परिसर में बनी समस्त बहुमंजिला इमारतों की निर्माण स्वीकृतियों की प्रमाणित प्रतियां मय नक्शें सहित 02, अनंता हॉस्पीटल के स्वामित्व दस्तावेज, भवन अनुमोदन प्रमाण पत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान अनुमोदन कैसे ओर कहा किया जाता है, का ब्युरों	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पंजीकरण की प्रमाणित प्रतिया चाही गई है उक्त संबंध में लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा द्वारा 18.11.2025 को प्रार्थी को सूचित कर दिया उक्त सूचना तहसील कार्यालय देलवाड़ा से संबंधित नहीं है/तहसील कार्यालय देलवाड़ा में उपलब्ध नहीं है।

अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का संबंध तहसील कार्यालय देलवाड़ा से नहीं होने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देलवाड़ा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)